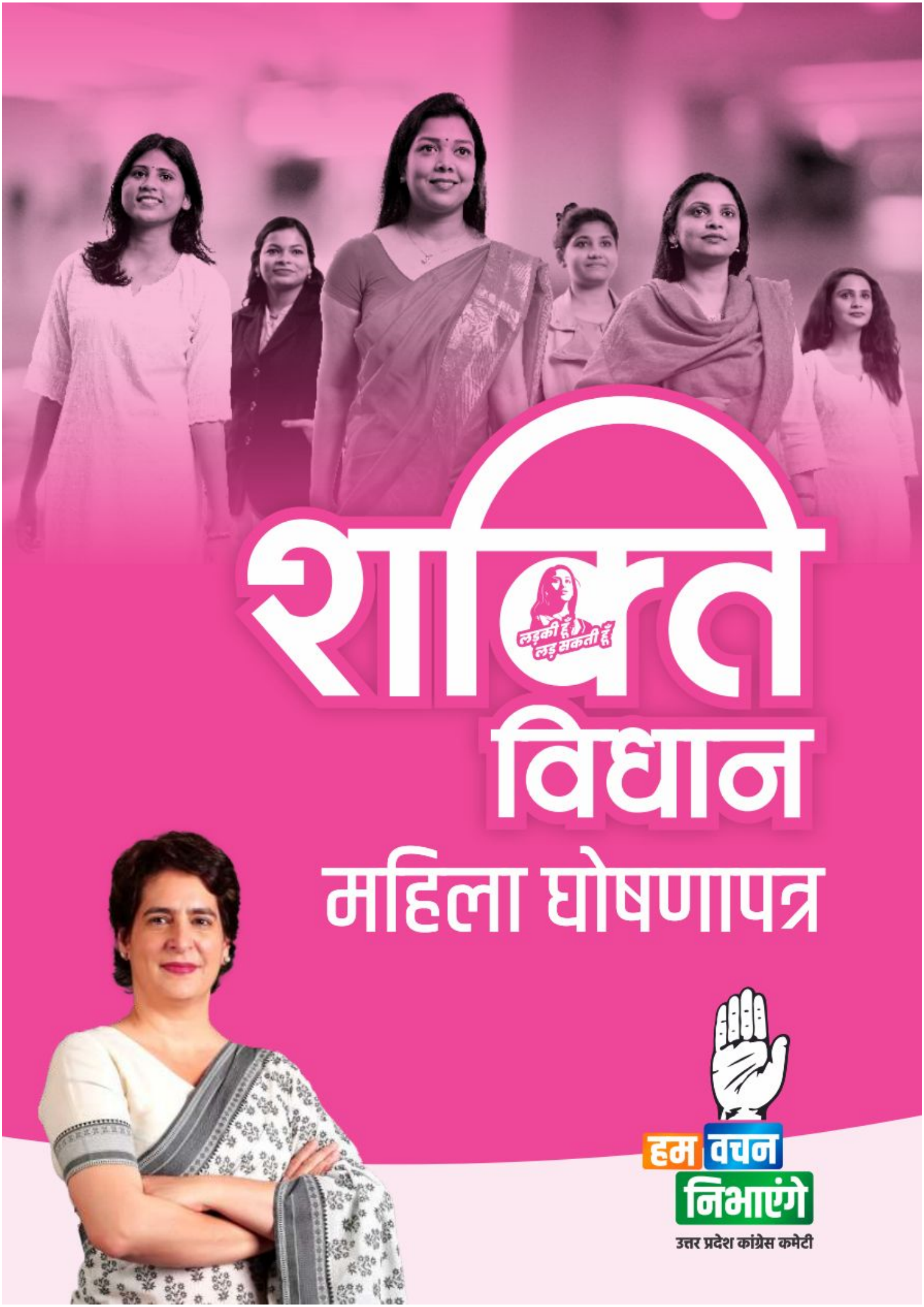

शक्ति विधान

लड़की हूँ लड़ सकती हूँ

महिला घोषणापत्र

हम वचन निभाएंगे

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी

विषय सूची

	पृष्ठ क्रमांक
भूमिका	03
स्वाभिमान	04
स्वावलंबन	05
शिक्षा	08
सम्मान	10
सुरक्षा	12
सेहत	14

भूमिका

महिलाओं की अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहचानती है। सक्षमता, शक्ति और दृढ़निश्चय महिलाओं के सहज गुण हैं। महिलाएँ साहस, करुणा एवं आशा की प्रतीक हैं। महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें उनकी अभिव्यक्ति को बंधन मुक्त और असीमित आकाश मिले।

इसी लक्ष्य के साथ पिछले कई महीने में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर की महिलाओं से सलाह-मशविरा किया और उनके लिए एक नई राह बनाने का खाका तैयार किया। यह घोषणा पत्र गृहणियों, कॉलेज की लड़कियों, आशा व आंगनबाड़ी बहनों, स्वयं-सहायता समूह की बहनों, शिक्षिकाओं और प्रोफेशनल महिलाओं की आवाज़ का प्रतिबिम्ब है।

राजनीति में महिलाओं की समुचित हिस्सेदारी समाज के स्वभाव, देश की राजनीति एवं शासन में बदलाव की कुंजी है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी का समर्थन करती है। महिलाओं की इस राजनीतिक शक्ति से ही उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रुप में भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी के रुप में पहली महिला मुख्यमंत्री दिया। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज लाकर देश भर में लाखों महिलाओं को अपने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को शासित करने की ताकत दी। श्रीमती सोनिया गांधी जी की अगुआई में कांग्रेस पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

हर एक महिला को गरिमामयी जीवन जीने, चुनने की आज़ादी, आर्थिक स्वतंत्रता एवं अपनी पहचान की बेबाक दावेदारी करने का हक़ है। यह घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की महिलाओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है, जो वर्तमान सरकार में अभूतपूर्व हिंसा, शोषण, अन्याय व सरकार की महिला-विरोधी विचारधारा का सामना कर रही हैं। इस 'शक्ति विधान' के ज़रिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश की महिलाओं के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मसम्मान के प्रति एक अनूठा और दृढ़प्रतिज्ञ विकल्प पेश कर रही है।

भारतीय संसद और देश भर की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम है। वर्तमान लोकसभा में केवल 14% और राज्य सभा में 11.6% सांसद महिलाएँ हैं।

पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण लागू होने के बाद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में एक तिहाई महिलाएँ हैं। पंचायत स्तर पर 10 लाख निर्वाचित महिला नेत्रियों का निर्वाचन, एक सकारात्मक कदम से हुए बड़े परिवर्तन की मिसाल है।

इसके बावजूद, महिलाओं का राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद में प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी 403 सदस्यों में से केवल 40 महिलाएँ हैं।

राजनीति में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और परिवर्तन की वाहक बनने का अवसर देने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को आवंटित करेगी

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इस निराशाजनक तस्वीर को बदलने का संकल्प लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की हमारी घोषणा के साथ यह उम्मीद है कि राज्य में महिलाओं के लिए राजनीति में आने के अवरोध हटेंगे और अवसरों का नया क्षितिज खुलेगा।

कांग्रेस पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि राजनीति में आक्रामकता, भेदभाव, विभाजन और करुणाविहीनता को चुनौती देना आवश्यक है। महिलाएँ राजनीति में निडरता, निपुणता और संवेदना लाने के साथ ही समावेशी नीति निर्माण की भी क्षमता रखती हैं।

जनवरी 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की श्रम शक्ति में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी दर 26.5% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम है। COVID-19 महामारी के दौरान और उसके बाद यह अनुपात और बिगड़ गया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार महिला श्रम भागीदारी 15% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला कार्यबल है - केवल 9.4%। जो पूरे देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 'लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट' (एलएफपीआर) क्रमशः 8% और 9% से कम है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की सूची में - रेस्तरां, खुदरा व्यापार, सौंदर्य, पर्यटन, शिक्षा, घरेलू काम और देखभाल का कार्य शामिल है। यह सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश की लेबर फ़ोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

1. 20 लाख नई सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप 40% नौकरियाँ महिलाओं को दी जाएँगी
2. 50% तक महिलाओं को नौकरी पर रखने वाले व्यवसायों को कर में छूट के साथ और भी सहायता दी जाएगी

3. पारंपरिक रुप से पुरुष केंद्रित नौकरियों जैसे कि परिवहन विभाग में ड्राइवर आदि में महिलाओं के लिए विशेष कोटा आरक्षित किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए पृथक चालक प्रशिक्षण इकाइयों का गठन किया जाएगा

4. महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को कम ब्याज दर पर ऋण और टैक्स रिफंड देकर मदद हेतु एक फंड की स्थापना की जाएगी

5. सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रुप से शिशु गृह स्थापित किए जाएँगे और कामकाजी महिलाओं को शिशु गृह सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा

6. कामकाजी महिलाओं के लिए 25 प्रमुख शहरी केंद्रों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास स्थापित किए जाएँगे

7. घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और निराश्रित महिलाओं के लिए राज्य और जिला स्तर की हेल्पलाइन शुरु की जाएगी। इन हेल्पलाइनों का प्रबंधन विशेष रुप से प्रशिक्षित संचालकों द्वारा होगा

8. जिन महिलाओं का रोजगार COVID-19 से प्रभावित हुआ, उनके लिए वेतन सब्सिडी शुरु की जाएगी

घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद महिलाओं के लिए अधिकांश रोजगार के विकल्प या तो कम वेतन वाले हैं या आर्थिक गतिविधि के तौर पर मान्य ही नहीं हैं। भारत में महिलाओं के लिए अधिकांश रोज़गार के साधन अल्पविकसित और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, मुख्य रुप से कृषि या घरेलू कार्य तक ही सीमित हैं। 2020 के 'जेंडर गैप इंडेक्स' के अनुसार, भारत विश्व में 112वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में इस गहरी खाई को समाप्त करने में भारत को लगभग 100 साल का समय लगेगा।

उत्तर प्रदेश में यह आँकड़े और भी भयावह हैं। अलक्षित बेरोज़गारी, मुफ़्त में किया घर का काम, भारी वेतन असमानता पूरे राज्य में व्याप्त है। प्रदेश में 70 लाख से अधिक व्यवसाय घर से चलाए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर की कमान महिलाओं के हाथ में है। ये महिलाएँ जो महामारी से पहले औसतन 40-50 रुपये प्रतिदिन कमाती थीं, उन्हें महामारी और लॉकडाउन ने ग़रीबी की ओर धकेल दिया है। भारत में महिलाएँ श्रम श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा और वस्त्र उद्योग में वह ठेके पर काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें प्रति नग के आधार पर भुगतान किया जाता है। यही स्थिति पापड़, अगरबत्ती और बीड़ी इत्यादि उद्योगों में भी है।

कोरोना महामारी के चलते लगभग 21 लाख से अधिक प्रवासी मज़दूर उत्तर प्रदेश वापस लौटे जिससे 2021 में मनरेगा नौकरियों की माँग अभूतपूर्व रुप से बढ़ गई। मनरेगा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान के बावजूद मात्र 5% महिला श्रमिकों को ही इस योजना में काम मिलता है।

श्रम की गरिमा को बनाए रखने और ग्रामीण व कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

1. मौजूदा सार्वजनिक और निजी नौकरियों में महिलाओं को सुरक्षा और लाभ पहुँचाया जाए और नई नौकरियों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा
2. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व आशा बहुओं को प्रतिमाह रु 10,000/- का मानदेय दिया जाएगा
3. राज्य भर में स्वयं सहायता समूह मॉडल को लागू करके अगले 5 वर्षों में व्यापक रुप दिया जाएगा जिससे ग़रीबी रेखा से नीचे की सभी महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जा सके। विशेषकर स्वयं सहायता समूहों को 4% ब्याज दर पर ऋण दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा
4. घरेलू कर्मचारियों, विशेषतः महिलाओं की मानवीय कार्य दशाओं के पालन के लिए एक सरकारी विभाग स्थापित किया जाएगा
5. मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 40% कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएँगे
6. राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंधन और संचालन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाएगा
7. एक विशेष विभाग की स्थापना की जाएगी जो विकलांग महिलाओं के प्रशिक्षण और रोज़गार के साधन मुहैया कराने पर केंद्रित होगा
8. सभी सरकारी भवन और कार्यस्थल विकलांग महिलाओं के लिए सुविधाजनक बनाए जाएँगे

शिक्षा

उत्तर प्रदेश की महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण

'राइट टू एजुकेशन फोरम पॉलिसी ब्रीफ' के अनुसार, भारत में माध्यमिक स्तर की एक करोड़ छात्राओं ने COVID-19 महामारी के कारण विद्यालय छोड़ दिया। जिसके चलते लड़कियों की कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भधारण, गरीबी, तस्करी और हिंसा का ख़तरा बढ़ जाता है। 2014 के बाद से शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं का 60% बजट तो विज्ञापनों में खर्च हुआ है। महामारी से पहले भी पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में गहरी असमानता रही है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर मात्र 63.4% है जो कि राष्ट्रीय औसत 70.3% से कम है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के नामांकन में गिरावट आई है।

गरीबी और समाज में व्याप्त पितृसत्ता भी लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल विवाह, दहेज और लड़कियों के आने जाने पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक कुरीतियाँ भी लड़कियों की शिक्षा में बाधा बनते हैं।

कोविड महामारी ने बालिकाओं की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में डिजिटल विभाजन को और उजागर कर दिया है। महिलाओं के लिए, खासकर यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो इस डिजिटल विभाजन के और भी गम्भीर परिणाम होते हैं।

कांग्रेस पार्टी का यह अटूट विश्वास है कि अच्छी शिक्षा मज़बूत लोकतंत्र की नींव रखती है और इसका सशक्तिकरण, समानता और न्याय से सीधा संबंध है।

महिलाओं की इस उपेक्षा का अंत करने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

1. 10+2 में प्रत्येक लड़की को स्मार्टफोन दिया जायेगा जिससे उसके लिए डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास सुलभ हो और सुरक्षा सुनिश्चित हो
2. स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित प्रत्येक लड़की को स्कूटी दी जाएगी जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही आवागमन सुगम हो और विकास के विकल्प मिल सकें
3. माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को आय वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी
4. राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएँगे। यह आवासीय विद्यालय होंगे जो शिक्षा के साथ साथ, लड़कियों की क्षमतावर्धन और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे
5. विशेष रोजगार एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी जिससे महिलाओं विशेषकर उपेक्षित, वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। इनका उद्देश्य प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा
6. बच्चों का पालन पोषण कर रही अकेली माताओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम शुरु किए जाएँगे
7. कामकाजी महिलाओं की शिक्षा की सुविधा के लिए राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय स्थापित किए जाएँगे
8. 14 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए प्रजनन अधिकारों और विज्ञान, यौन शिक्षा, जबरन बाल विवाह आदि पर केंद्रित पाठ्यक्रम को राज्य भर के स्कूलों में शामिल किए जाने के लिए उचित संगठनों के साथ साझेदारी की जाएगी

समय के उपयोग पर 2019 एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों पर प्रतिदिन औसतन 5 घंटे खर्च करती हैं जबकि उनकी तुलना में समान कामों के लिए पुरुष केवल दिन के 1.5 घंटे से कम का योगदान करते हैं। घरेलू परिवेश में इस असमानता को आर्थिक गतिविधियों को मापते समय आंका भी नहीं जाता।

घरेलू क्षेत्र में दैनिक संघर्षों से जूझती महिलाओं की वित्तीय और मानसिक संबलता के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

1. राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, जिससे उन्हें अपने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा
2. महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराये जाएँगे
3. प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी
4. युवावस्था में विधवा हुई महिलाओं को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'महिला चौपाल' का निर्माण किया जाएगा, जहां महिलाएँ एकत्रित होकर चर्चा, आयोजन, बैठकें व मनोरंजन की गतिविधियां कर सकें

6. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यक्तिगत और समूहों के रूप में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में प्रशिक्षण व अवसर दिया जाएगा, जिससे वह स्वरोज़गार के अवसरों का लाभ उठा सकें

7. गरीब परिवारों को ऑनलाइन स्कूल/विश्वविद्यालय और कौशल विकास कक्षाओं में सुगमता के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा

8. निजी क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में विशेषकर महिलाओं के लिए 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के सुगम अवसरों को उपलब्ध कराना हो

9. नई योजना के अंतर्गत परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफ़डी (सावधि जमा) खोली जाएगी

10. परिवारों में घरेलू हिंसा और नशे की समस्या से निपटने के लिए आशा बहुओं की तर्ज पर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नई योजना शुरु की जाएगी

11. खाने, रहने और आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर आश्रित महिलाओं के परित्याग के मामलों में क़ानूनी सहायता समितियों द्वारा विशेष सहयोग दिया जाएगा। युवा महिला अधिवक्ताओं को ऐसे मामलों के लिए वेतन प्रदान किया जाएगा

सुरक्षा

सुरक्षा सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण

पिछले चार वर्षों में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 66% से अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में पूरे देश में अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर में 18.8 फीसदी की वृद्धि हुई है और उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश से हैं।

अपराधियों के ख़िलाफ़ जाँच और कार्यवाही में ढील, पीड़ितों और उनके परिवारों का उत्पीड़न, पीड़िता का चरित्र हनन, आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण, अपराधियों और अधिकारियों की मिलीभगत - अपराध के ख़िलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का यह मूलमंत्र हाथरस, उन्नाव, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, बाराबंकी, बरेली, हरदोई जैसे तमाम जगह देखा गया।

NCRB आकड़ों के मुताबिक़ हत्या, अपहरण, बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इन्हीं आँकड़ों के अनुसार उप्र में औसतन 12 बलात्कार रोज़ होते हैं।

'अत्याचार अधिनियम' की धारा-4 सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार तत्काल FIR दर्ज करना, पीड़ितों या गवाहों के बयान दर्ज करना और 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होता है, परंतु प्रायः ऐसे मामले देखे जाते हैं जिनमें पुलिस को घटना की जानकारी देने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी की जाती है या करने से इनकार कर दिया जाता है। इस तरह की अराजकता के चलते ही उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है।

इतनी भयावह स्थिति में अब लड़कियाँ चुपचाप अन्याय सहने को तैयार नहीं हैं। वह अपने हक़ की लड़ाई लड़ रही हैं। वह विषम परिस्थितियों में न्याय के लिए और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए साहसपूर्वक लड़ रहीं हैं।

कांग्रेस पार्टी इन बहादुर महिलाओं को सलाम करती है और उनकी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करेगी:

1. पुलिस बल में 25% नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँगी। हर पुलिस थानों में महिला कांस्टेबल तैनात की जाएँगी ताकि अपराध की सूचना देते समय महिलाएँ सुरक्षित महसूस कर सकें
2. बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत होने के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन न हुआ तो अधिकारी को निलम्बित किया जाएगा। इसको क़ानूनी मान्यता दी जाएगी
3. राज्य स्तर पर एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 महिलाएँ - दो न्यायाधीश, दो सामाजिक कार्यकर्ता और दो सरकारी अधिकारी होंगे। यह आयोग बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ आरोपी या आरोपी के परिचित या सरकारी अधिकारी द्वारा उत्पीड़न और चारित्रिक हनन की जाँच करेगा।
4. हर ज़िले में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु तीन सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसमें दो महिला अधिवक्ता होंगी

सेहत

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण

आम महिलाओं तक व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने के लिए "4A" की परिकल्पना की गई है- Affordability (सस्ती और अच्छी), Approachability (पहुँच), Appropriateness (उपयुक्तता) और Availability (उपलब्धता)। आज भी उत्तर प्रदेश में इन मानदंडों पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिकांश महिलाओं के लिए एक सपना ही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की सीमित पहुंच के चलते बीमारी के समय अस्पताल और दवाइयों के खर्चे का बोझ अधिकांश महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर कर देता है। परिवार पर क़र्ज़े के डर से वह समुचित स्वास्थ्य सेवाओं से संकोच करती हैं।

कोविड में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी, पर उत्तर प्रदेश में महामारी से पहले ही स्वास्थ्य ढाँचा जर्जर हालत में था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों के लिए स्वीकृत 4509 पदों में से 70 फीसदी पद खाली पड़े हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 44,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराता है। प्रदेश में केवल 3560 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जबकि राज्य में मानदंडों के अनुसार कम से कम 7000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्तनपान कराने वाली केवल 12% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सामान्य से अधिक पौष्टिक भोजन मिलता है। पूरे प्रांत में 60% से कम महिलाओं का वजन गर्भावस्था के दौरान बढ़ता है - जो माँ और शिशु

दोनों में कुपोषण का परिचायक है। उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 जन्मे शिशुओं में से 64 की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में पूरे देश में सर्वाधिक खराब आँकड़े उत्तर प्रदेश के ही हैं।

महिलाओं तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी:

1. किसी भी बीमारी के लिए प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाए
2. पूरे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय औसत के करीब ले जाया जाएगा
4. सभी सरकारी अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में महिलाओं से सम्बंधित मासिक धर्म से सम्बंधित आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी
5. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित 'स्वास्थ्य शक्ति केंद्र' स्थापित किए जाएंगे जो विशेष रुप से महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा प्रदान करेंगे
6. मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य पर ध्यान देने के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट शुरु की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता की सुविधा भी दी जाएगी

हम वचन निभाएंगे

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी